

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक 367/स्था0सैट/2020

जबलपुर, दिनांक 23/11/2020

श्री संजय कुमार भट्ट, सहायक ग्रेड-1 उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) जबलपुर को श्री बी.डी. पडरहा, अनुभाग अधिकारी के पद से दिनांक 30.11.2020 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप रिक्त होने वाले अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतनमान पे- मैट्रिक्स-10 रु. 42700 - 135100 में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) जबलपुर की स्थापना में पदोन्नत करते हुए पदस्थ किया जाता है।

**माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार**

Sd/-

**(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल**

पृष्ठांकन क्रमांक 368/स्था0सैट/2020
प्रतिलिपि :-

जबलपुर, दिनांक 23/11/2020

01. प्रिन्सिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर।
02. प्रिन्सिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर, (म.प्र.),
03. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2/डी. ई./व्ही.एल./ई/पी.पी.एस./एकजाम एवं लेबर ज्यूडीशियरी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
04. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल की ओर निवर्तमान मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण मुख्यपीठ जबलपुर के डी.डी.ओ. क्रमांक 1812103001 के एम्लाई डाटाबेस में आवश्यक प्रविष्टि कराने के साथ ही संचलानालय कोष एवं लेखा भोपाल के नवीन आई.एफ.एम.आई.एस. एप्लीकेशन साफटवेयर में प्रविष्टि कराने हेतु अग्रेषित,
05. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (आई.टी.) की ओर आदेश की प्रतिलिपि उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
06. डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.) न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
07. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.)/प्रशासनिक अधिकारी (जे.) स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
08. लेखाधिकारी (सैट), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
09. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,

10. प्रिन्सिपल रजिस्ट्रार न्यायिक/निरीक्षण एवं सतर्कता/(आई.एल.आर. एवं परीक्षा)
(परीक्षा एवं ट्रेनिंग) महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. सहायक स्थापना/लेखाअनुभाग, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, (सैट) जबलपुर,
12. श्री संजय कुमार भट्ट, सहायक ग्रेड-1 उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट)
मुख्यपीठ-जबलपुर को निर्देशित किया जाता है कि यदि वे पदोन्नत पद एवं
पदस्थापना पर 15 दिवस के अन्दर कार्यभार ग्रहण नहीं करती हैं तो लिखित में अपनी
सहमति प्रस्तुत करेंगी कि वे पदोन्नति स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है ऐसी स्थिति में
उनकी पदोन्नति प्रकरण पर आगामी एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा।
13. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय अरेरा हिल्स, भोपाल को म.प्र. राजपत्र के
आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)